न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री मती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 25/2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 श्रीमती टीपूदेवी पत्नी लक्ष्मणराम 2 मिश्रीलाल पुत्र लक्ष्मणराम के का.मु. 2/1 अशोक पुत्र मिश्रीलाल 2/2 तारादेवी पत्नि मिश्रीलाल 2/3 दशरथ पुत्र मिश्रीलाल 2/4 दलाराम पुत्र मिश्रीलाल 3 पपाराम पुत्र लक्ष्मणराम 4 तेजाराम पुत्र लक्ष्मणराम 5 राजूराम पुत्र लक्ष्मणराम जातिगण कुम्हार निवासीगण पांचवाखुर्द तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. जम्मु पुत्र पेमाराम जाति गुर्जर निवासी दुदौड, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली राजस्थान। 2. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 27/05/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251--ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम पांचवाखुर्द, पटवार हल्का झूपेलाव, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चाड़वास तहसील सोजत में स्थित प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि आई हुई है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 160 रकबा 1.7100 हैक्टर की स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य एवं रहवास उपयोग, उपभोग हेतु आने जाने का एकमात्र रास्ता नहर के पास से होते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 162 में से माठ के सहारे सहारे होता हुआ प्रार्थीगण की, कृषि भूमि में जाता हैं। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खसरान में जाने का एकमात्र मार्ग वर्षों पूर्व से प्रार्थीगण द्वारा उपयोग, उपभोग किया जाता रहा हैं। उक्त रास्ते का नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के संलग्न है, जो लाल रंग से दर्शित है, जिस नजरी नक्शे को उक्त प्रार्थना पत्र का आवश्यक एवं अंग समजा जावें। प्रार्थीगण की कृषि जोत पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थीगण उक्त नजरी नक्शे में दर्शाये रास्ते से अपनी कृषि भूमि में आते जाते है एवं रास्ते का कदीम से उपयोग करते आ रहा हैं। अप्रार्थीगण वर्तमान में प्रार्थी को नजरी नक्शे में दर्शाये रास्ते से जाने से प्रार्थीगण को अवरोधित कर रहे हैं। जिससे प्रार्थीगण को कृषि जोत पर कृषि करना बाधित हो रहा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

है। जिससे प्रार्थीगण को भारी असुविधा व हानि का सामना करना पड़ रहा है। अप्रार्थी से इस मार्ग को खुला रखे जाने बाबत बार बार आपसी सहमति का प्रयास किया गया परन्तु अप्रार्थी सहमत नहीं हुये। प्रार्थीगण के उक्त खसरे की जोत मे जाने का अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण अपनी प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु उक्त मार्ग रास्ते की अत्यंत ही आवश्यकता है, केवल अपनी सुविधाजनक उपयोग के लिये रास्ते की मांग नहीं कर रहा है। कृषि जोत मे जाने का अन्य कोई वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो पांचवाखुर्द के खसरा नंबर 162 रकबा 0.9100 हैक्टर कृषि भूमि तहसील सोजत मे विद्यमान हेतु सुचारू कर उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे मे लाल रंग से दर्शित ए से बी रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर तरमीम किए जाने हेतु निवेदन किया है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की तामिली हेतु बार–बार रजि0 नोटिस भेजे जाने पर भी तामिल नहीं होने पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीयकृत अखबार में प्रकाशन कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 14.04. 2022 को स्वीकार कर अधिवक्ता प्रार्थी को नोटिस अखबार साया हेतु आदेशित किये जाने पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बाद अखबार साया अखबार की एक प्रति प्रस्तुत की, सा.मि. हैं। अधिवक्ता प्रार्थी ने फहरिस्त प्रस्तुत कर दिनांक 13.04.2024 प्रकाशित सम्मन की अखबार की प्रति पेश की। बावजुद सुचना / तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1131 दिनांक 14.03.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हरस्ब प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थी को अपनी कृषि जोत भूमि खसरा नम्बर 160 रकबा 1.7100 हैक्टर में आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 162 रकबा 0.9100 हैक्टर में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

बहस वकुलाय उभयपक्षो को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2 अन्य खातेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत मे पहुँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार सोजत भू0अ0निरी0 चाडवास पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 162 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। कि सरहद मौजा ग्राम ग्राम' पांचवाखुर्द, पटवार हल्का झूपेलाव, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चाड़वास तहसील सोजत में स्थित प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि आई हुई है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 160 रकबा 1.7100 हैक्टर की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थीगण की खसरा नंबर 162 रकबा 0.9100 हैक्टर की कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 162 में से (104485/– रू0 × 2 × 0.0215 है0 = 4492.86/– रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	162	0.9100 है0	जम्मु पुत्र पेमा हिस्सा–पूर्ण जाति–गुजर सा. दुदौड़ तहसील खारची खोतदार	43 मी0× 5 मी0 = 0.0215 है0	**4492.86** /–रू

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 27/05/24 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)